कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य / मा—स / विविध(25) / वो—2 / 2022—23 दिनांक : .08.2023

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक।
समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

विषय :— विद्यार्थियों कें आधार नामांकन एवं अपडेशन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :— राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर का पत्र क्रमांक : RCSeE/Jpr/ICT/AEK Seva Kendra/2023/3842 दिनांक : 04.08.2023

उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के पत्रानुसार विद्यार्थियों के आधार नामांकन करवाने की भारत सरकार की महत्पवूर्ण योजना के अन्तर्गत यूआईडीएआई भारत सरकार द्वारा राज्य के 295 ब्लॉकों में प्रति ब्लॉक दो के अनुसार कुल 590 मोबाईल आधार सेवा केन्द्र स्थापित करवाये गये हैं। प्रासंगिक पत्र एवं संलग्नितों के द्वारा विद्यार्थियों के आधार नामांकन एवं अपडेशन के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर किये जाने वाले कार्य / दायित्वों / भूमिका बाबत निर्देश जारी किये गये हैं।

उल्लिखितानुसार प्रासंगिक पत्र मय संलग्नकों के प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विद्यार्थियों के आधार नामांकन एवं अपडेशन के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर किये जाने वाले कार्य / दायित्वों / भूमिका का निवर्हन अव्वल स्तर पर किया जाकर उक्तानुसार नामांकित विद्यार्थियों का आंकलन, रूट चार्ट एवं मासिक प्लान तैयार कर निर्धारित समयावधि में परिषद् मुख्यालय पर एक्सल शीट में भिजवाते हुए प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न :—यथोपरि।

(डॉ. अरूण कुमार शर्मा)
स्टाफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाते हुए समस्त सम्बन्धितों को ई—मेल प्रेषित करने बाबत।
3. समस्त पीईईओ / यूसीईईओ।
4. समस्त संस्था—प्रधान।
5. रक्षित पत्रावली।

स्टाफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Arun Kumar
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.08.16 10:56:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4470331

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक : RCSeE/Jpr/ICT/AEK Seva Kendra/2023 / 3842 दिनांकः 4 / 8 /2023

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा,
समस्त जिले

विषय : विद्यार्थियों के आधार नामांकन एवं अपडेशन के संबंध में।

संदर्भ : 295 ब्लॉक में सप्लाई 590 आधार एनरोलमेंट किटों का मोबाईल आधार सेवा केन्द्र के माध्यम से संचालन एवं परिषद से जारी दिशानिर्देश क्रमांक 4496 दिनांक 24.8.2022, क्रमांक 10447 दिनांक 14.02.2023 एवं क्रमांक 170 दिनांक 06.04.2023 के निरन्तरता में।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत विद्यार्थियों के आधार नामांकन करवाने की भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत यूआईडीएआई भारत सरकार द्वारा राज्य के 295 ब्लॉकों में प्रति ब्लॉक दो के अनुसार कुल 590 मोबाईल आधार सेवा केंद्र स्थापित कराये गये है।

इस योजना के तहत जिन ब्लॉकों में आधार एनरोलमेंट किट की सप्लाई हुई है। उनके संचालन हेतु ऑपरेटर सेवा के लिए एजेंसी ***मैसर्स रेडिएन्ट हाडौती इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड*** को संचालन करने हेतु परिषद स्तर से कार्यालय आदेश जारी किया गया है। मोबाइल आधार सेवा केन्द्र संचालन हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को परिषद का पत्र क्रमांक 10447 दिनांक 14.02.2023 द्वारा नामित करवाया गया है। आधार सेवा केन्द्रो की निरीक्षण रिपोर्ट बाबत् भी दिशानिर्देश परिषद का पत्र क्रमांक 170 दिनांक 06.04.2023 को जारी किये गये है।

मैसर्स रेडिएन्ट हाडौती इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा ब्लॉक्स पर उपलब्ध दो–दो आधार एन्रोलमेंट किट का संचालन ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ही करवाया जाना है। इस कार्य हेतु **एडीपीसी, जिला नोडल अधिकारी** के रूप में एवं एपीसी–आईसीटी एवं पीओ आईसीटी, जिला सह नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के निर्देश दिये गये थे। जिसमें **ब्लॉक कार्यालय से समन्वय कर रूट चार्ट तैयार करवा कर उसी के अनुसार ही कार्य की मॉनिटर कर आवश्यक सम्बलन प्रदान करने के निर्देश दिये गये। जिला एवं ब्लॉक स्तर द्वारा इस संबंध में गम्भीरता से कार्य नही किया जा रहा है।**

जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों के उचित मॉनिटरिंग के अभाव में कम्पनी द्वारा कार्य कर रहे ऑपरेटर्स की शिकायते प्राप्त हो रही है। आपको पूर्व में भेजे गये निर्देशों की अनुपालना करने के लिए पुनः निर्देशित किया जा रहा है :–

जिला कार्यालय की भूमिका :

एडीपीसी, जिला नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं एपीसी/पीओ आईसीटी सहनोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर जिन ब्लॉकों में मशीने उपलब्ध करवायी गई है, उन ब्लॉकों से समन्वयन कर आधार नामांकन का कार्य करवायेगें तथा संचालन की तैयारी, रूट चार्ट का निर्माण एवं प्रत्येक माह का रूट चार्ट तैयार करवायेगे। रूट चार्ट तैयार करवाते समय यह ध्यान रखा जाये कि सभी ग्राम पंचायत में स्थित सभी विद्यालयों में आधार नामांकन से वंचित विद्यार्थियों को नामांकित किया जाना तथा उसमें अपडेशन की आवश्यकता हो तो उसे अपडेशन किया जाना है। आधार बनने के पश्चात्, विद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थियों की आधार संख्या **शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।**

Rajasthan Education Department

ब्लॉक कार्यालय की भूमिका :

सीबीईओ, ब्लॉक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें तथा एसीबीईओ–द्वितीय (एसीबीईओ–द्वितीय के अनुस्थिति में एसीबीईओ–प्रथम कार्य करेगें) व आरपी–आईसीटी सहनोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें एवं प्रत्येक आधार एन्रोलमेंट किट के माध्यम से मोबाईल आधार सेवा केंद्रों का सफल संचालन करवायेंगे। दोनों सहनोडल अधिकारी ब्लॉक में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के विद्यालयों का रूट चार्ट तैयार करेंगे। जिसमें ब्लॉक के समस्त विद्यार्थियों के आधार नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो सके। इस हेतु प्रत्येक माह का अग्रिम प्लान तैयार कर जिला कार्यालय को भिजवाये जायेगे एवं जिले द्वारा ब्लॉक कार्यालयों से प्राप्त रूट चार्ट कार्ययोजना को समेकित कर परिषद को भिजवायेगे। परिषद स्तर से आवश्यक अनुमोदन पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। सहनोडल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दिवस आधार एन्रोलमेंट किट के माध्यम से होने वाले आधार नामांकन की रिपोर्ट प्राप्त कर जिला कार्यालय के माध्यम से परिषद मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी। सहनोडल अधिकारियों द्वारा संस्थाप्रधानों से सम्पर्क कर तैयार रूट चार्ट के अनुसार ही मोबाईल आधार सेवा केंद्रों की स्थापना की जाकर आस–पास के विद्यालयों सहित विद्यालय के विद्यार्थियों के आधार नामांकन पत्र तैयार करवाये जायेगे।

ब्लॉक कार्यालयों द्वारा संबंधित सेवाप्रदाता एजेंसी के ऑपरेटर जिसे आधार एन्रोलमेंट किट उपलब्ध करवाया गया है, को प्रतिमाह किट सहित उपस्थित होकर पूरे माह में किये गये कार्य एवं पूर्व में दिये गये रूट चार्ट के अनुसार हुये कार्य की समीक्षा की जाये।

ब्लॉक नोडल एवं सहनोडल अधिकारियों को प्रतिदिन आधार मोबाइल सेवा कैम्प के संचालित स्थल की जानकारी होना अनिवार्य है एवं प्रतिदिवस संबंधित संस्थाप्रधान से समन्वयन कर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसे गम्भीरता से लेवें।

ब्लॉक स्तर पर उक्त के संबंध में तत्परता से कार्य होने पर मोबाइल आधार सेवा केन्द्रो का संचालन UIDAI नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

विद्यालय स्तर पर संस्थाप्रधान की भूमिका :–

विद्यालय स्तर संस्थाप्रधान स्थानीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगें तथा एक अध्यापक को स्थानीय सहनोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर ब्लॉक कार्यालयों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार ***मोबाईल आधार सेवा केंद्र*** विद्यालय परिसर में संचालित करवाया जाना है। विद्यालय स्तर पर प्राथमिकता से विद्यार्थियों के आधार नामांकन व प्राथमिक बायोग्राफी अपडेशन संबंधित कार्य करवाया जाना है। विद्यालय स्तर पर सोमवार से शनिवार तक आधार नामांकन का कार्य विद्यालय तथा अधीनस्थ विद्यालयों का सम्पादित करवाया जाना है। सस्थाप्रधान द्वारा विद्यालय स्तर पर आधार नामांकित/अपडेशन किये गये विद्यार्थियों की सूची तैयार कर, प्रमाणित कर आधार सेवा केन्द्र प्रतिनिधियों को सौपी जायेगी। आधार सेवा एजेंसी के द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले आपरेटर्स सीबीईओ एवं आधार सेवा एजेंसी के समन्वय से कार्य करेगे। रूट चार्ट सीबीईओ द्वारा आधार सेवा एजेंसी के समन्वय से तैयार किये जाकर अनुमोदन पश्चात् उसी अनुसार सूचीबद्ध विद्यालयों में ही मोबाईल आधार सेवा केन्द्र स्थापित किये जायेगे एवं प्रतिदिवस विद्यालय स्तर से सीबीईओ कार्यालय को आधार नामांकन की सूचना दी जायेगी।

संस्थाप्रधान द्वारा आधार के नामांकन/अपडेशन हेतु आस–पास के क्षेत्र में केम्प प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रचार–प्रसार किया जावे। एक पंचायत में अनामांकित बच्चों की संख्या, दूरी का आंकलन कर संस्थाप्रधान द्वारा कलस्टर तैयार किया जायेगा। उसी कलस्टर के द्वारा विद्यार्थियों का आधार नामांकन इत्यादि का कार्य किया जायेगा। संस्थाप्रधान आधार बनने के पश्चात् विद्यार्थीवार आधार संख्या शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करेंगे।

समग्र रूप से जिला स्तर पर ब्लॉकवार निम्न सूचना को संधारित करते हुए मोबाइल आधार सेवा केंद्रों के संचालन की 2–2 माह की कार्य योजना तैयार करेगें एवं परिषद मुख्यालय को समेकित प्रारूप में (एक्सल में) भेजना सुनिश्चित करें :–

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	विद्यालय का नाम	आधार अनामांकित विद्यार्थी संख्या	मोबाइल आधार सेवा केंद्रों के संचालन की तिथि	
					दिनांक से	दिनांक तक

आधार सेवा केन्द्रों का संचालन सोमवार से शनिवार होगा लेकिन आवश्यकता होने पर भी सेवा केन्द्रों को यू.ए.डी.ए.आई दिशानिर्देशों के अनुसार रविवार एवं अवकाश के दिवसों में संस्थाप्रधानों की सहमति से खुलवाये जा सकेगे। आधार सेवा केन्द्र विद्यालय समय में संचालित रहेगे। इस अवधि में आधार सेवा एजेंसी के प्रतिनिधि विद्यालय में आईडी प्रूप के साथ आ सकेगे।

ब्लॉक स्तर पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए आधार सेवा एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर **श्री आदित्य प्रताप सिंह (95292–71530)** से सम्पर्क एवं समन्वयन किया जाकर कार्य योजना रूट चार्ट, प्रर्फोमा का प्रारूप तैयार कर विस्तृत दिशानिर्देश विद्यालयों को ब्लॉक स्तर से दिये जायेगे। आधार एंरोलमेंट किट को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर सेवा एजेंसी के आधार ऑपरेटर्स की जांच कर आवश्यकतानुसार सुपुर्द की जायेगी।

ब्लॉक स्तर पर आधार एन्रोलमेंट किट मशीनों के रजिस्टेशन हेतु आधार सेवा एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि को कार्यालय में भेजकर रजिस्टेशन कार्यवाही पूर्ण करें एवं आधार नामांकन इत्यादि हेतु विद्यालयों में मोबाईल आधार सेवा केन्द्र के संचालन हेतु आवश्यक प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ही आधार सेवा एजेंसी को आधार एन्रोलमेंट किट उपलब्ध करावें एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिदिवस आधार एन्रोलमेंट किट की सूचना अपडेट रखना सुनिश्चित करें। आधार सेवा एजेंसी प्रतिनिधि द्वारा समस्त उपकरणों को स्वयं के स्तर से ही क्रियाशील स्थिति में रखा जाना है, यह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें।

उक्तानुसार 7 दिवस में नामांकित विद्यार्थियों का **आंकलन, रूट चार्ट एवं मासिक प्लान तैयार कर** दिनांक 8.08.2023 तक परिषद मुख्यालय पर **एक्सल शीट में भेजना सुनिश्चित करें।**

संलग्न : पूर्व दिशानिर्देश एवं पत्र, चार्ज वाली दिशानिर्देश UIDAI।

Rajasthan Education Department

(डॉ. टी शुभमंगला)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : RCSeE/Jpr/ICT/AEK Seva Kendra/2023/ 3842 दिनांक: 4 / 8 / 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
3. श्री राकेश कुमार वर्मा, प्रभारी अधिकारी (यूआईडीएआई),राज्य पंजीयक आधार परियोजना राजस्थान, जयपुर।
4. श्री मोनिस खान परियोजना प्रबंधक, (यूआईडीएआई)।
5. श्री आशुतोष कुमार सहायक प्रबंधक,(यूआईडीएआई)।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक RCSeL/Jpr/ICT/AEK Seva Kendra/2022 / 4496 दिनांक: 24 / 8 / 2022

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले

विषय : विद्यार्थियों के आधार नामांकन एवं अपडेशन के संबंध में दिशानिर्देश।
संदर्भ : 295 ब्लॉक में सप्लाई 590 आधार एनरोलमेंट किटों का मोबाईल आधार सेवा केन्द्र के माध्यम से संचालन।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत विद्यार्थियों के आधार नामांकन करवाने की भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत यूआईडीएआई भारत सरकार द्वारा राज्य के 295 ब्लॉकों में मोबाईल आधार सेवा केंद्र स्थापित कराए जा रहे है।

इस योजना के तहत जिन ब्लॉकों में आधार एनरोलमेंट किट की सप्लाई हुई है। उनके संचालन हेतु ऑपरेटर सेवा के लिए एजेंसी ***मैसर्स रेडिएन्ट हाडौती इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड*** को संचालन करने हेतु परिषद स्तर से कार्यालय आदेश जारी किया गया है। यह संस्था तीन वर्ष तक मोबाईल आधार सेवा केन्द्रों का संचालन करेगी एवं विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क आधार नामांकन एवं अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेशन का कार्य करेगी एवं किसी भी प्रकार का विद्यालय स्तर से भुगतान देय नही होगा। अन्य सेवाओ एवं अपडेट कार्य के लिए संस्था से सम्पर्क करते है तो संस्था यूआईडीएआई के नियमानुसार निर्धारित शुल्क लेकर कार्य सम्पादित कर सकेगी।

मैसर्स रेडिएन्ट हाडौती इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा ब्लॉक्स पर उपलब्ध दो–दो आधार एन्रोलमेंट किट का संचालन ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार करेगी। इस कार्य हेतु एडीपीसी, जिला नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। एपीसी–आईसीटी एवं पीओ आईसीटी, जिला सह नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। ये ब्लॉक कार्यालय से समन्वय कर रूट चार्ट तैयार करवा कर उसी के अनुसार ही कार्य की मॉनिटर कर आवश्यक सम्बलन प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों के आधार की अद्यतन सूचना शालादर्पण पोर्टल से भी ली जा सकती है।

जिला कार्यालय की भूमिका :

एडीपीसी, जिला नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं एपीसी / पीओ आईसीटी सहनोडल अधिकारी होंगे। जिन ब्लॉकों में मशीने उपलब्ध करवायी गयी है उन ब्लॉकों से समन्वयन कर आधार नामांकन का कार्य करवायेंगे तथा संचालन की तैयारी, रूट चार्ट का निर्माण एवं तीन–तीन माह के रूट चार्ट तैयार करवायेंगे। रूट चार्ट तैयार करवाते समय यह ध्यान रखा जाये कि सभी ग्राम पंचायत में स्थित सभी विद्यालयों मे आधार नामांकन से छूट गये विद्यार्थियों को नामांकित किया जाना तथा उसमें अपडेशन की आवश्यकता हो तो उसे अपडेशन किया जाना है। आधार कार्ड बनने के पश्चात्, विद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थियों की आधार संख्या शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

ब्लॉक कार्यालय की भूमिका :

सीबीईओ, जिला नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें तथा एसीबीओ व आरपी सहनोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें एवं प्रत्येक आधार एन्रोलमेंट किट के माध्यम से मोबाईल आधार सेवा केंद्रों का सफल संचालन करवायेंगे। दोनों सहनोडल अधिकारी ब्लॉक मे स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के विद्यालयों का रूट

चार्ट तैयार करेंगे। जिसमें ब्लॉक के समस्त विद्यार्थियों के आधार नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो सके। इस हेतु तीन–तीन माह के चार कार्यक्रम तैयार कर जिला कार्यालय के भिजवाये जायेगे एवं जिले द्वारा ब्लॉक कार्यालयों से प्राप्त रूट चार्ट कार्ययोजना को समेकित कर परिषद को भिजवायेगे। तथा परिषद स्तर से आवश्यक अनुमोदन पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। सहनोडल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दिवस आधार एन्रोलमेंट किट के माध्यम से होने वाले आधार नामांकन की रिपोर्ट प्राप्त कर जिला कार्यालय के माध्यम से परिषद मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी। सहनोडल अधिकारियों द्वारा संस्थाप्रधानों से सम्पर्क कर तैयार रूट चार्ट के अनुसार ही मोबाईल आधार सेवा केंद्रों की स्थापना की जाकर आस--पास के विद्यालयों सहित विद्यालय के विद्यार्थियों के आधार नामांकन पत्र तैयार करवाये जायेगे।

विद्यालय स्तर पर संस्थाप्रधान की भूमिका :–

विद्यालय स्तर संस्थाप्रधान स्थानीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें तथा एक अध्यापक को स्थानीय सहनोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर ब्लॉक कार्यालयों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार ***मोबाईल आधार सेवा केंद्र*** विद्यालय परिसर में संचालित करेंगा। विद्यालय स्तर पर प्राथमिकता से विद्यार्थियों के आधार नामांकन व प्राथमिक बायोग्राफी अपडेशन संबंधित कार्य करवाया जाना है। विद्यालय स्तर पर सोमवार से शनिवार तक आधार नामांकन का कार्य विद्यालय स्तर पर होगा। एक दिन में लगभग 50 आधार रजिस्ट्रेशन के अनुसार विद्यार्थियों की सूची तैयार की जायेगी तथा सूची के अनुसार विद्यार्थियों के दस्तावेज तैयार करवाये जायेगे। *(दस्तावेज : विद्यार्थियों के एसआर नम्बर, घर का पता, जन्म प्रमाण–पत्र इत्यादि)* सस्थाप्रधान द्वारा विद्यालय स्तर पर आधार नामांकित/अपडेशन किये गये विद्यार्थियों की सूची तैयार कर, प्रमाणित कर आधार सेवा केन्द्र प्रतिनिधियों को सौपी जायेगी। आधार सेवा एजेंसी के द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले आपरेटर्स सीबीईओ एवं आधार सेवा एजेंसी के समन्वय से कार्य करेंगे। रूट चार्ट सीबीईओ द्वारा आधार सेवा एजेंसी के समन्वय से तैयार किये जाकर अनुमोदन पश्चात् उसी अनुसार सूचीबद्ध विद्यालयों में ही मोबाईल आधार सेवा केन्द्र स्थापित किये जायेगे एवं प्रतिदिवस सीबीईओ को आधार नामांकन की सूचना दी जायेगी।

समग्र रूप से जिला स्तर पर ब्लॉकवार निम्न सूचना को संधारित करते हुए मोबाइल आधार सेवा केंद्रों के संचालन की कार्य तैयार करेगें :–

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	विद्यालय का नाम	विद्यालय में कुल विद्यार्थी संख्या	पूर्व में आधार नामांकित विद्यार्थी संख्या	आधार अनामांकित विद्यार्थी संख्या

Rajasthan Education Department

संस्थाप्रधान द्वारा विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं क्षेत्र के नागरिकों के नामांकन/अपडेशन हेतु आस–पास के क्षेत्र में केम्प प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रचार–प्रसार किया जावे। एक पंचायत में अनामांकित बच्चों की संख्या, दूरी का आंकलन कर संस्थाप्रधान द्वारा कलस्टर तैयार किया जायेगा। उसी कलस्टर के द्वारा विद्यार्थियों का आधार नामांकन इत्यादि का कार्य किया जायेगा। संस्थाप्रधान आधार कार्ड बनने के पश्चात् विद्यार्थीवार आधार संख्या शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करेंगे।

समग्र रूप से जिला स्तर पर ब्लॉकवार निम्न सूचना को संधारित करते हुए मोबाइल आधार सेवा केंद्रों के सचालन की 3–3 माह की कार्य योजना तैयार करेगें एवं परिषद मुख्यालय को समेकित प्रारूप में (एक्सल में) भेजना सुनिश्चित करें :–

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	विद्यालय का नाम	आधार अनामांकित विद्यार्थी संख्या	मोबाइल आधार सेवा केंद्रों के संचालन की तिथि	
					दिनाक से	दिनाक तक

आधार सेवा केन्द्रों का संचालन सोमवार से शनिवार होगा लेकिन आवश्यकता होने पर भी सेवा केन्द्रों को यू.ए.डी.ए.आई दिशानिर्देशों के अनुसार रविवार एवं अवकाश के दिवसों में संस्थाप्रधानों की सहमति से खुलवाये जा सकेगे। आधार सेवा केन्द्र प्रातः 9:30 बजे से 5:30 तक संचालित रहेगे। इस अवधि में आधार सेवा एजेंसी के प्रतिनिधि विद्यालय में आईडी प्रूफ के साथ आ सकेंगे।

जिस मद मे राशि/उपकरण उपलब्ध कराये गये है, उसी कार्य में इनका उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। यदि इस सबंध मे कोई व्यय होता है तो उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें। उक्त कार्य हेतु एमओई गाईडलाइन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पालना करते हुए विहित प्रक्रिया किया जाना सुनिशिचित करें।

ब्लॉक स्तर पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए आधार सेवा एजेंसी के नोडल अधिकारी श्री आदित्य प्रताप सिंह (95292–71530) से सम्पर्क एवं समन्वयन किया जाकर कार्य योजना रूट चार्ट, प्रर्फोमा का प्रारूप तैयार कर विस्तृत दिशानिर्देश विद्यालयों को ब्लॉक स्तर से दिये जायेगे। आधार एंरोलमेंट किट को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर सेवा एजेंसी के आधार ऑपरेटर्स की जांच कर आवश्यकतानुसार सुपुर्द की जायेगी।

ब्लॉक स्तर पर आधार एन्रोलमेंट किट मशीनों के रजिस्टेशन हेतु आधार सेवा एजेंसी के सत्यापित प्रतिनिधि को कार्यालय में उपलब्ध करवाकर रजिस्टेशन कार्यवाही पूर्ण करें एवं आधार नामांकन इत्यादि हेतु विद्यालयों में मोबाईल आधार सेवा केन्द्र के संचालन हेतु आवश्यक प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ही आधार सेवा एजेंसी को आधार एन्रोलमेंट किट उपलब्ध करावें एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिदिवस आधार एन्रोलमेंट किट की सूचना अपडेट रखना सुनिश्चित करें। आधार सेवा एजेंसी प्रतिनिधि द्वारा समस्त उपकरणों को स्वयं के स्तर से ही क्रियाशील स्थिति में रखा जाना है, यह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें।

परिषद द्वार संस्था के साथ तीन वर्षो का अनुबंध किया गया है। निविदा शर्तो की छायाप्रति संलग्न कर सुलभ संदर्भ हेतु भिजवायी जा रही है।

उक्तानुसार 7 दिवस में सम्पूर्ण अनामांकित विद्यार्थियो का आंकलन एवं रूट चार्ट इत्यादि तैयार कर परिषद मुख्यालय पर एक्सल शीट में भेजना सुनिश्चित करें।

Rajasthan Education Department

डॉ। म 24/8/22

(डॉ. मोहन लाल यादव)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक RCSeL/Jpr/ICT/AEK Seva Kendra/2022/4496 दिनांक 24 /8 /2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।
4. मैसर्स रेडिएन्ट हाडौती इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि०

24-8-2022
अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017

E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक : RCSeE/Jpr/ICT/AEK Seva Kendra/2023 / 10447 दिनांक: 14/02/2023

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले

विषय : विद्यार्थियों के आधार नामांकन हेतु मोबाईल आधार सेवा केन्द्रों के संचालन के संबंध में।

संदर्भ : 295 ब्लॉक में 590 आधार एनरोलमेंट किटों का मोबाईल आधार सेवा केन्द्र के माध्यम से संचालन के संबंध में परिषद् द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 24.08.2022 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है, कि विद्यार्थियों के आधार नामांकन करवाने की भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत यूआईडीएआई भारत सरकार द्वारा राज्य के 295 ब्लॉकों में मोबाईल आधार सेवा केंद्र स्थापित कराए जा रहे है। (सूची संलग्न)

इन सेवा केन्द्रो के संचालन हेतु ऑपरेटर सेवा के लिए एजेंसी ***मैसर्स रेडिएन्ट हाडौती इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड*** को संचालन करने हेतु परिषद स्तर से कार्यालय आदेश जारी किया गया है। (प्रति संलग्न) यह संस्था तीन वर्ष तक मोबाईल आधार सेवा केन्द्रों का संचालन करेगी।

सेवाप्रदाता फर्म द्वारा ब्लॉक्स पर उपलब्ध दो–दो आधार एन्रोलमेंट किट का संचालन ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ही किया जाना है। ब्लॉक कार्यालय द्वारा फर्म से समन्वय कर रूट चार्ट तैयार करवाये जाने के पूर्व में निर्देश दिये गये थे लेकिन आदिनांक तक रूट चार्ट अनुमोदन हेतु अप्राप्त है।

ध्यान में आया है कि ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ द्वारा कम्पनी के आपरेटर को मशीन उपलब्ध करवायी गई है, लेकिन बिना रूट चार्ट निर्माण के ही आधार नामांकन का कार्य ब्लॉको में सेवाप्रदाता द्वारा प्रारम्भ किया गया है।

अतः मोबाईल आधार सेवा केन्द्रों द्वारा विद्यार्थियों के आधार नामांकन निर्माण के संबंध में विद्यालय वार रूट चार्ट बनाकर 15 दिवस पूर्व परिषद कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। रूट चार्ट निर्माण हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को पाबंद करें तथा ब्लॉक स्तर पर दिशानिर्देशों के अनुसार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ब्लॉक स्तर पर आधार मोबाइल सेवा केन्द्रों के गतिविधियों की प्रभावी मानिटरिंग (Intensive Monitering) के लिए अधिकारी नामित कर प्रत्येक आधार ऐनरोलमेंट किट के माध्यम से प्रति दिवस बनने वाले/अपडेट होने वाले रजिस्ट्रेशन की सूचना को संकलित कर प्रति सप्ताह रिपोर्ट परिषद कार्यालय को भेजे। समस्त सूचना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र (1) एवं (2) में समेकित जिलावार परिषद के ई–मेल rcse.ict@gmail.com पर उपलब्ध करावें।

संलग्नः– प्रपत्र (1) एवं (2)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(डॉ. मोहन लाल यादव)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : RCSeE/Jpr/ICT/AEK Seva Kendra/2023 / 10447 दिनांक: 14/02/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
3. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले
4. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

प्रपत्र–1
(जिला स्तर नोडल अधिकारी की सूचना)

क्र. सं.	जिला	मोबाइल आधार सेवा केन्द्र के मॉनिटरिंग कार्य हेतु नामित प्रभारी अधिकारी का नाम	पद	मोबाइल नम्बर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

प्रपत्र–2
(ब्लॉक स्तर नोडल अधिकारी की सूचना)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	मोबाइल आधार सेवा केन्द्र के मॉनिटरिंग कार्य हेतु नामित प्रभारी अधिकारी का नाम	पद	मोबाइल नम्बर
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक : RCSeE/Jpr/ICT/AEK Seva Kendra/2023 / 170 दिनांक: 6/4/2023

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले

विषय : मासिक, मोबाइल आधार सेवा केन्द्रों की निरीक्षण रिपोर्ट बाबत्।
संदर्भ : UIDAI, नई दिल्ली के Email पत्रांक 16 मार्च 2023

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य के 295 ब्लॉक कार्यालयों के माध्यम से 590 मोबाइल आधार सेवा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

UIDAI भारत सरकार के दिशां–निर्देशों की अनुपालना में ब्लॉक स्तर पर आधार नामांकन संबंधित कार्य की मानिटरिंग हेतु प्रतिमाह हो रहे समग्र कार्य की 5% Sample जांच concerned CBEEO से करवाकर संलग्न प्रारूप में प्रतिमाह (प्रत्येक माह की 5 तारीख तक) रिपोर्ट कार्यालय के ई–मेल rcse.ict@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। जिससे की समय पर भारत सरकार को रिपोर्ट भिजवायी जा सके। पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

संलग्न :– Checklist for Inspection of Aadhar Enrollmnet Centres

Rajasthan Education Department

(डॉ. मोहन लाल यादव)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : RCSeE/Jpr/ICT/AEK Seva Kendra/2023 / 170 दिनांक: 6/4/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
3. श्री आशुतोष कुमार, सहायक प्रबंधक UIDAI DoIT&C जयपुर।
4. Radiant Haroti Industries India Limited
5. रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by D... Mohan Lal Yadav
Designation : ... Project Director
Date: 2023.04.0... 4:11:46 IST
Reason: Approved

राज्य परियोजना निदेशक

RajKaj Ref No. : 3589394

I/22482/2023

F. No. HQ-16033/1/2020-EU-I-HQ-Part(2)
भारत सरकार /**Government of India**
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय/**Ministry of Electronics & IT (MeitY)**
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) यू.आई.डी.ए.आई(.
Unique Identification Authority of India (HQ.)
(नामांकन & अधतन – I)/ (Enrolment & Update-I)

मुख्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण/
Headquarters, Unique Identification Authority of India
7th Floor, Bangla Sahib Road,
Gole Market, Behind Kali Mata Mandir,
New Delhi – 110001.
Dated: 20th **April, 2023**

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Assistance to Registrars for Aadhaar Generation & Mandatory Biometric Update (5/15 years) and maximum fees to be collected from the residents for the services (update and other services) provided by Registrars/ Other Service Providers.

Ref: Gazette Notification No. HQ-16041/4/2021-EU-I-HQ-Part(I) (No. 2 of 2022) dated 03.03.2022.

****

In continuation to the revision in MBU Policy and introduction of provision for Home Enrolment Service, the rate of assistance to Registrars and fees applicable to residents issued vide OM No. HQ-16033/1/2020-EU-I-HQ-Part(2) (E-8026) dated 18.10.2022 stands revised as follows:

S. No.	Service	Rate of assistance paid to Registrar (in Rs.)	Fee collected from resident by Registrar/ service provider (in Rs.)
1	Aadhaar Generation of residents in 0-5 age group (ECMP or CEL Client enrolment)	50	Free of cost
2	Aadhaar Generation of residents more than 5 years age	100	Free of cost
3	Mandatory Biometric Update (05 to <07 years and 15 to <17 years)	100	Free of cost
4	Mandatory Biometric Update (07 to 15 years & more than 17 years)	-	100
5	Other Biometric Update (with or	-	100

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

	without Demographic updates)		
6	Demographic update (update of one or more fields) in online mode or at Aadhaar Enrolment Centre using ECMP/UCL /CELC	-	50
7	PoA/ PoI Document Update at Aadhaar Enrolment Centre	-	50
8	PoA/ PoI Document Update through SSUP (myAadhaar) Portal	-	25 **
9	Aadhaar Search using eKYC/ Find Aadhaar/ any other tool and colour print out on A4 Sheet	-	30
10	Home Enrolment Service as per OM No. HQ-16024/4/2020-EU-I-HQ-Part (1) dated 05.04.2023.	-	*700
11	Cost of PIN based Address validation Letter (AVL)	-	50

** Free from 15th March till 14th June 2023

* The service charges for Home Enrolment Service will be charged in addition to the normal fee applicable for demographic /biometric update in Aadhaar.

* If the service is availed by more than one resident at the same address (as per Aadhaar), Rs 700/- service charge (including GST) will be charged for first resident and @ Rs 350/- (including GST) for each additional resident.

Rajasthan Education Department

2. All the rates mentioned above are inclusive of GST and Registrars are requested to submit the Tax Invoice against the Assistance to be provided by UIDAI for processing the payment.

3. For Registrars not functioning under in-house model as per OM No. 16024/4/2022-EU-I-HQ-Part(1) dated 30.01.2023, the applicable rate for assistance shall be as per Table 2 of Circular dated 09.05.2020.

4. This issues with the approval of Competent Authority and shall be applicable with immediate effect.

Signed by Prabhakaran C.r.
Date: 20-04-2023 15:09:15
Reason: Approved

(प्रभाकरन सी.आर./Prabhakaran C.R.)
उप निदेशक (ई एंड यू-I)/Deputy Director (E&U-I)

To,

1. All Registrars/EAs through notification.
2. Regional Offices of UIDAI.

3. Tech. Centre of UIDAI.
4. Media Division.
5. CRM Division
6. File.

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते